

Duplicate Copy  
29-Aug-2024

## आदेश

तिथि  
Jan 7 2024

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदानुसार आवेदित जमीन मौजा पुरनदाहा थाना देवघर

खाता	प्लॉट	रकबा
42	TPP 8	0 एकड़, 2 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
KUMKUM KUMARI KUSUM	पति	PURSHOTTAM KUMAR

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 793 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमति कुमकुम कुमारी कुसुम	पति	श्री पुरशोतम कुमार

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा पुरनदाहा थाना नं० 399 खाता नं० 42 प्लॉट नं० TPP 8 असर्वेक्षित बसौड़ी किस्म की है जिसमें कुल रकबा 4569 वर्गफीट भूमि में से मध्ये अंश रकबा 2 डिसमील भूमि आवेदक निबंधित डीड नं० 793 दिनांक 22/08/2022 द्वारा क्रय कर हाता के रूप में शांतिपूर्ण दखलकार है अतः उपरोक्त दस्तावेजीक साक्ष्य एवं राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के अनुशंसा एवं अनुमोदन के आलोक में नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है यह आदेश पूर्णतः अपीलिय है

अतः वार्षिक लगान 20रुपये  
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण  
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
ANIL KUMAR  
अंचलाधिकारी देवघर

ATTESTED

*Boon*  
NOTARY, Reg. No.-10394/2013  
Govt. of India  
Dist.-Deoghar, Jharkhand

